

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

श्री कीन

बनाम

श्रीचंद आर्दे

रसम मुकदमा

ठावा

मु. नं.

५५५

वर्ष

२०१५

दिनांक	आज्ञा-पत्र
१-११	पक्षावली पेश हुई। वकील वादी उपजिला पक्षावली करते तलबी प्रतिवादीगत डिकेंड २१/१/१९ को पेश की है।
१५-१-१९	पक्षावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रतिवादीगत की तलबी हेतु डिकेंड डिकेंड १५/१०/१९ को पेश की है।
१५-१-१९	पक्षावली पेश हुई। वकील वादी उप। पक्षावली करते तलबी डिकेंड २६/११/१९ को पेश की है।
२५/११/१९	पक्षावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रतिवादीगत सम्पत्त को जारी लगाने उपर। हुलासित तलबी कुमीडा की शर्त के तहत १ पर विधिवत तारीख के तलबी ही मान्य शेष डिकेंड १५/११/१९ पर तलबी पेश की है। कल वकील वादी को विधिगत डिकेंड कारण है कि वह नवीन पेश करते डिकेंड १५/११/१९ के तलबी लगाने सम्पत्त को तलबी करते डिकेंड २९/११/१९ को पेश की है।
२९/११/१९	पक्षावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं अनुपस्थित। उक्त वकील वादी व वादी को बार-बार आवाज लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय सत्र में कोर्ट ३ बजे बार-बार वकील वादी व वादी को आवाज लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अनुपस्थित रहने पर पुनः वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज न्यायालय सत्र में आवाज लगाई।

गई। कोई उपस्थित नहीं। कल: वकील वादी व वादी
के कठुपास्या रहने पर पत्रावली इसी स्वरूप
प्रवम हाजिरी। ठहर पंखी ने खातिर की जावी है।
पत्रावली केवल शुक्र-हफ्त बाद तकमील दाखिल
दफ्तर की १५

उपखण्ड अधिकारी
शोध म सीकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

